FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सुखदेव बनाम रामकुमार

किस्म मुकदमा 148 ए सी.पी.सी प्रकरण संख्या 08 सन् 2025

जी.सी.एम.एस नम्बर 2025/

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.04.2025	प्रार्थी सुखदेव सिंह पुत्र कृष्णलाल जाति जाट निवासी 36 एच नग्गी तहसील श्रीकरणपुर जिला श्री गंगानगर की ओर से अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह बराड के द्वारा कैवियट प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया कि चक 36 एच के खाता संख्या 20 के मुरब्बा नम्बर 87, 96/19 की कुल 0.910 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद या स्थगन प्रार्थना पत्र अप्रार्थी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न्यायालय में पेश किया जाता है तो सुनवाई से पूर्व प्रार्थी को सूचित किया जाकर, सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात ही कोई निर्णय पारित किया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को जरिए पंजीकृत डाक से तलब किया जावे। इस सम्बन्ध मे कोई दावा या स्थगन प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली पेश हो तब तक पत्रावली नियमानुसार सुरक्षित रखी जावे । [signature] पुनश्च: इतना लिखने पर बलराम पुत्र कृष्ण लाल की ओर से अधिवक्ता श्री सुधीर शर्मा ने प्र.स. २५/२०२५ अनवान बलराम बनाम कृष्णलाल आदि धारा अन्तर्गत 53, 88, 91, 188 RTA व स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया। कैवियटकर्ता अधिवक्ता को सुना गया। अब इस पत्रावली मे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। पत्रावली इसी स्तर पर बंद की जाती है। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)	